यूपी में बनाए जाएंगे 1000 ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर

लाई जाएगी पॉलिसी, जल्द कैबिनेट के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : प्रदेश में मल्टीनैशनल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ग्लोवल कैपिबिलिटी सेंटर के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। जल्द ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर (GCC) का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस पॉलिसी के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को स्टांप ड्यूटी में 100% की छूट के साथ कई और रियायतें भी दी जाएंगी। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में करीव 1000 GCC वनाने का लक्ष्य रखा है। इससे पांच लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी महीने स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम के दौरान मुख्य सचिव की अगुआई में जाने वाली टीम इस पॉलिसी के ड्रॉफ्ट को देश-दुनिया की वड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों (MNC) के सामने रखेगी।

ये काम करते हैं GCC

GCC ऐसे सुविधायुक्त केंद्र होते हैं जो AI, साइवर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, रोवॉटिक्स और क्लाउड-क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को टेक्नॉलजी उपलब्ध कराते हैं। इसमें MNC, ग्लोवल हव, छोटे सेंटर्स पर अपने सैटलाइट ऑफिस, आउटसोर्स सेंटर और कलस्टर ऑफिस वनाती हैं। मौजूदा समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी GCC के वड़े हव हैं। अव इनका विस्तार कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, वरेली, गोरखपुर

व वाराणसी जैसे शहरों में किए जाने की तैयारी है।

न्यूनतम 500 को रोज़गार

प्रस्तावित नीति के तहत GCC की दो श्रेणियां होंगी। प्रदेश में लेवल-1 के GCC स्थापित करने के लिए न्यूनतम 15 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। गौतमवुद्धनगर व गाजियावाद में GCC के लिए न्यूनतम 20 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। प्रत्येक GCC में 500 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की भी अनिवार्यता रहेगी। अडवांस्ड GCC के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रखी गई है। गौतमवुद्धनगर व गाजियावाद में अडवांस्ड GCC खोलने के लिए 75 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। इनमें एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार देना होगा।